भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1717**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात केंद्र

1717. **श्री मलविंदर सिंह कंग:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 'निर्यात केंद्रों के रूप में जिले' संबंधी पहल की समीक्षा या मूल्यांकन किया है ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के निर्यात पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके;

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान रूपनगर, होशियारपुर, एसबीएस नगर और एसएएस नगर (मोहाली) के ऐसे एमएसएमई का जिलावार ब्यौरा क्या है जिन्होंने बाजार अभिगम पहल (एमएआई) या निर्यात दिशा कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में पंजाब के शिवालिक क्षेत्र में निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं में एमएसएमई की भागीदारी को प्रभावित करने वाली किन्हीं संभार तंत्र या संपर्क संबंधी कमियों को चिह्नित किया गया है; और

(घ) पंजाब में 25,060 करोड़ रूपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, और गैर-महानगरीय जिलों में पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों तक पहुंच बनाने की स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): निर्यात केंद्रों के रूप में जिले (डीईएच) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग की एक क्षमता-निर्माण पहल है, जिसका उद्देश्य आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र में रूपनगर, होशियारपुर, एसबीएस नगर और एसएएस नगर (मोहाली) जिलों सहित जमीनी स्तर पर निर्यात, विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

डीईएच पहल के तहत, निर्यात सुविधा, हैंडहोल्डिंग और सेंसिटाइजेशन सहायता तथा डिजिटल ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग प्रदान की जाती है, जिससे निर्यातकों और एमएसएमई को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

पंजाब सहित सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

इस पहल के तहत, रूपनगर, होशियारपुर, एसबीएस नगर और एसएएस नगर (मोहाली) के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) तैयार की गई हैं, जिनमें मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं का विवरण दिया गया है और इन कमियों को कम करने के लिए संभावित हस्तक्षेपों की पहचान की गई है। डीईएपी में डीईएच पहल के तहत जिले के लिए चिन्हित की गई निर्यात क्षमता और प्रमुख उत्पादों के बारे में विवरण शामिल हैं।

जिलों के लिए चिन्हित किए गए उत्पादों में शामिल हैं:

- होशियापुर - वस्त्र, ट्रैक्टर और उसके पुर्जे, शहद, आलू
- रूपनगर - फार्मास्यूटिकल्स
- साहिबज़ादा अजित सिंह नगर - फार्मास्युटिकल्स और आइटी क्षेत्र, इंजीनियरिंग वस्तुएं और फार्मास्युटिकल्स, वस्त्र
- शहीद भगत सिंह नगर - दालें, चावल, आलू

पीएम गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) देश भर में एकीकृत, मल्टीमॉडल और प्रौद्योगिकी-सक्षम बुनियादी संरचना योजना प्रदान करने की एक पहल है। इसका उद्देश्य बुनियादी संरचना परियोजनाओं के समन्वित निष्पादन को सक्षम करने के लिए रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, शिपिंग जैसे कई मंत्रालयों और पंजाब सहित राज्य सरकारों को एक एकीकृत डिजिटल योजना मंच पर लाकर विभागीय बाधाओं को दूर करना है।

सरकार ने 12 नवंबर, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) स्कीम को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को सहायता देने के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को शक्ति प्रदान करना है। ईपीएम दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होगा:

i निर्यात प्रोत्साहन, ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण में वृद्धि करने संबंधी सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।

ii निर्यात दिशा, निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिग और पैकेजिंग, बाजार पंहुच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स औऱ भंडारण और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

ईपीएम पंजाब सहित सभी क्षेत्रों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करेगा।

*****